न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 158 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. श्रीराम वल्द मानाराम
2. अशोक वल्द श्रीराम
3. भगवती वल्द श्रीराम
   कौम ब्राहम्ण निवासी मोटी ढाणी हाल गौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. शम्भूराम वल्द वरजांगाराम
2. रवा वल्द मलाराम
3. सोनाराम वल्द पूराराम
   कौम मेगवाल साकिन मोटी ढाणी, डाबड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. कृष्णलाल वल्द दुर्गाराम
5. अमरूदेवी पत्नी दुर्गाराम
6. नवाराम वल्द गजाराम
7. बाबूराम वल्द वीराराम
8. हडमता वल्द वीराराम
   कौम रबारी साकिन मोटी ढाणी, डाबड
9. मेहरा वल्द सरूपा
10. मोहन गोदपुत्र तगाराम
11. रामचन्द्र वल्द काजाराम
12. भगवानाराम वल्द काजाराम
    कौम गुरूडा निवासी कांधी की ढाणी, गुड़ामालानी
13. प्रभुदान वल्द लिछमीदान
14. आवडदान वल्द खेतदान
    कौम चारण साकिन मोटी ढाणी, डाबड तहसील गुड़ामालानी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 31.10.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:47 IST
Reason: Self Attested

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1084, 1086, 1483 / 1106, 1485 / 1106, 1486 / 1106 रकबा क्रमशः 1.1088, 0.2509, 7.5271, 0.0243, 0.3237 हैक्टेयर किस्म

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

बारानी दोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1084, 1086, 1483/1106, 1485/1106, 1486/1106 रकबा क्रमशः 1.1088, 0.2509, 7.5271, 0.0243, 0.3237 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 3/10/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:47 IST
Reason: Self Attested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी